छत्तीसगढ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर दिनांक 10 अगस्त 2005

कमांक एफ 20–95/2004/11/6 :– राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 1 नवंबर 2004 से प्रभावी **"छत्तीसगढ राज्य ब्याज अनुदान नियम –2004"** निम्नानुसार लागू करता है ।

1– **परिचयः–**

राज्य में स्थापित हो रहे लघु तथा मध्यम–वृहद उद्योगों की उत्पादन लागत कम करने, निज़ी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग एवं कमजोर वर्ग की औद्योगिक विकास की प्रकिया में भागीदारी बढ़ाने हेतु औद्योगिक नीति 2004–09 के अंतर्गत "ब्याज अनुदान योजना" का विस्तार किया गया है।

2– **नियम :–**

ये नियम **"छत्तीसगढ राज्य ब्याज अनुदान नियम –2004"** कहे जायेंगे ।

3– **प्रभावशील तिथि :–**

ये नियम **दिनांक 01.11.2004** से प्रभावशील होंगे ।

4– **परिभाषाएं :–**

(1)– इस नियम के अन्तर्गत नवीन औद्योगिक इकाई, लघु उद्योग इकाई, मध्यम–वृहद औद्योगिक इकाई, विद्यमान औद्योगिक इकाई, विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार, सामान्य उद्योग, विशेष थ्रस्ट उद्योग,अपात्र उद्योग, प्रभावी कदम, अनुसूचित जाति–जनजाति द्वारा स्थापित उद्योग, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, अनिवासी भारतीय, शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक, "कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारी" तथा "राज्य के मूल निवासी" की वही परिभाषाएं होगी जो **" छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना– स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004"** में दी गई हैं।

(2)– <u>सावधि ऋण :–</u>

सावधि ऋण से आशय है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित बैंक, / वित्त निगम /. छत्तीसगढ स्टेट इन्डस्ट्रियल डव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0, या. अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम/ अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, अखिल भारतीय वित्त संस्थान / जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक / नागरिक सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत व वितरित सावधि ऋण या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से भाड़ा क्रय योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गयी मशीनरी का क्रय मूल्य।

(3)– <u>कार्यशील पूंजी:–</u>

कार्यशील पूंजी से अभिप्रेत है उपरोक्त बिन्दु क्र0 4 (2) में उल्लेखित बैंक /निगम/संस्थाओं द्वारा कार्यशील पूंजी के रूप में स्वीकृत व वितरित ऋण ।

5– **पात्रता :–**

5.1– औद्योगिक नीति 2004–09 की कालावधि दिनांक 01.11.2004 से 31.10.2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले "उपाबध 4" मे दर्शाये गये उद्योगों को छोड़ कर शेष नवीन लघु, मध्यम–वृहद

औद्योगिक इकाइयों की स्थापना /विद्यमान उत्पादनरत लघु, मध्यम–वृहद औद्योगिक इकाइयों के विस्तार पर उनके द्वारा प्राप्त किये सावधि ऋण या / और कार्यशील पूंजी हेतु ऋण पर संबंधित वित्त पोषक संस्था को भुगतान किये गये ब्याज के विरूद्ध अनुदान की पात्रता होगी।

5.2– भारत शासन/ राज्य शासन या किसी राज्य शासन के निगमों /मंडलों /संस्थाओं /बोर्ड (निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों को छोड़ कर) द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

5.3– यह आवश्यक है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अनुदान की पात्रता अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया गया हो ।

5.4– ब्याज अनुदान का प्रथम स्वत्व औद्योगिक इकाईयों के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक/ अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ ऋण वितरण के प्रथम दिनांक जो पश्चातवर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर पूर्ण रूपेण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । निर्धारित कालावधि के पश्चात किया गया स्वत्व उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र द्वारा निरस्त किया जावेगा, आगामी किसी भी त्रैमास का स्वत्व अगले एक त्रैमास / छः मास, जो लागू हो, के भीतर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में दिया जाना आवश्यक होगा अन्यथा मान्य योग्य नही रह जायेगा ।

5.5– भारत शासन/ राज्य शासन या इनके निगमों /मंडलों / संस्थाओं / बोर्ड की अन्य स्वरोजगार योजनाओं के अर्न्तगत वित्त पोषित औद्योगिक इकाईयों को इस अनुदान की पात्रता नहीं होगी, यदि उन्हें वित्त पोषण रियायती ब्याज दर पर किया गया हो ।

5.6– जिन उद्योगों ने औद्योगिक नीति 2001–06 की कालावधि में दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु "प्रभावी कदम" उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, उन्हे औद्योगिक नीति 2004–2009 के अर्न्तगत इस अधिसूचना के अधीन अथवा औद्योगिक नीति 2001–06 के अर्न्तगत अधिसूचना क्रमांक एफ– 14– 2– 03–6 –11–2 के द्वारा लागू नियमों अनुसार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

5.7– अधिसूचना क्रमांक एफ– 20–4–2003–6–11 दिनांक 17.6.2003 द्वारा राज्य के अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों (जिला कोरिया, जिला दंतेवाड़ा तथा बिलासपुर जिले की पेण्ड्रारोड तहसील एवं मरवाही तहसील) के औद्योगिक विकास हेतु लागू विशेष प्रोत्साहन पैकेज में दिनांक 1.4. 2003 को /के पश्चात पंजीकृत लघु उद्योग/आई0ई0एम0 प्राप्त उद्योग जिन्होने दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु "प्रभावी कदम" उठा लिए हों, किन्तु इस दिनांक तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ हो, उन्हे औद्योगिक नीति 2004–2009 के अर्न्तगत इस अधिसूचना के अधीन अथवा अधिसूचना क्रमांक एफ– 20–4–2003–6–11 दिनांक 17.6.2003 के अनुसार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

5.8– "उपाबंध 4" मे दर्शाए गये उद्योगों को ब्याज अनुदान की पात्रता तभी होगी यदि औद्योगिक नीति 2001–06 की कालावधि में दिनांक 1.11.2004 के पूर्व उद्योग स्थापित करने हेतु निर्धारित "प्रभावी कदम" उठाये गये हों । इन उद्योगों को प्राप्त होने वाले ब्याज अनुदान की मात्रा औद्योगिक नीति 2001–06 के अनुसार ही होगी ।

5.9– ब्याज अनुदान की रियायत यदि भारत शासन / राज्य शासन या इसके किसी निगम / बोर्ड /मंडल से प्राप्त की गयी हो तो इस योजना के अर्न्तगत पात्रता नहीं होगी।

6–. **अनुदान की मात्रा :–**

लघु तथा मध्यम–वृहद उद्योगों को नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना / विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा–

(1)–(क) – नवीन लघु उद्योग–

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलों के क्षेत्र	(1)– 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 45 प्रतिशत) **अधिकतम सीमा**– रु. 5 लाख वार्षिक (2)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक, बिना किसी अधिकतम सीमा के	(1)– 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 80 प्रतिशत) **अधिकतम सीमा**– रु. 10 लाख वार्षिक (2)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक, बिना किसी अधिकतम सीमा के
श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलों के क्षेत्र	(1)– 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए वार्षिक ब्याज का 75 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 80 प्रतिशत) **अधिकतम सीमा** – रु. 10 लाख वार्षिक, (2)– अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष की अवधि तक, बिना किसी अधिकतम सीमा के	(1)– 7 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए वार्षिक ब्याज का 75 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 80 प्रतिशत) **अधिकतम सीमा**– रू0 10 लाख वार्षिक (2)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 7 वर्ष की अवधि तक, बिना किसी अधिकतम सीमा के

(ख)– विद्यमान लघु उद्योगों का विस्तार

विद्यमान लघु उद्योगों के विस्तार पर ब्याज अनुदान सामान्य क्षेत्रों में नवीन मध्यम–वृहद उद्योगों की स्थापना हेतु निर्धारित दर व अवधि के बराबर दिया जावेगा चाहे सामान्य क्षेत्र अथवा अति पिछड़े अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्रों में उद्योग का विस्तार किया गया हो ।

(2)– मध्यम–वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ–सामान्य क्षेत्र रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, व कवर्धा, जिलों के क्षेत्र	(1)–निरंक (2)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष की अवधि तक, अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक, (नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना / विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार पर)	(1)– 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 80 प्रतिशत) अधिकतम सीमा–रु. 20 लाख वार्षिक (नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना / विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार पर) (2)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष की अवधि तक, अधिकतम सीमा रु. 30 लाख वार्षिक (नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना / विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार पर)

श्रेणी ब– अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर, दक्षिण बस्तर, (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर) कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर जिलों के क्षेत्र	(1)– 5 वर्ष की अवधि तक कुल भुगतान किए गए वार्षिक ब्याज का 75 प्रतिशत(अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 80 प्रतिशत) **अधिकतम सीमा–** नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना रु. 20 लाख वार्षिक विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार– निरंक (2)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से 5 वर्ष तक, **अधिकतम सीमा–** नवीन औद्योगिक इकाई रु. 30 लाख वार्षिक, विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार रू0 20 लाख वार्षिक	(1)– कुल भुगतान किए गए वार्षिक ब्याज का 75 प्रतिशत (अनिवासी भारतीय / शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशकों को 80 प्रतिशत) **अधिकतम सीमा** नवीन औद्योगिक इकाई रु. 40 लाख वार्षिक– 7 वर्ष तक, विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार रू 20 लाख वार्षिक– 5 वर्ष तक (2)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से, **अधिकतम सीमा–** नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना रु. 50 लाख वार्षिक– 7 वर्ष तक, विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार रू0 30 लाख वार्षिक– 5 वर्ष तक

6.1– उपरोक्त तालिका के अंतर्गत देय अनुदान की दर इस प्रकार सीमित होगी कि औद्योगिक इकाई को न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज स्वयं देना होगा तथा अनुदान की दर वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिरोपित दर से 1 प्रतिशत वार्षिक (स्वंय द्वारा देय ब्याज) कम करने के पश्चात शेष ब्याज दर के आधार पर अधिकतम सीमा तक दी जाएगी ।

6.2– अनुदान की कालावधि ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से प्रारंभ होगी।

6.3– अनुदान केवल मूल ब्याज के भुगतान के विरूद्ध देय होगा अर्थात विलंब शुल्क, शास्ति या अन्य किसी अतिरिक्त देय राशि पर अनुदान प्राप्त नही होगा ।

6.4– यदि किसी त्रैमास (छैःमास), जो लागू हो, में समय पर ब्याज या मूलधन की किश्त न पटाने या अन्य किसी कारण से ऋणी को सबंधित वित्त पोषित संस्था द्वारा **"ऋण न चुकाने वाला"** (Defaulter) माना जाता है तो उस त्रैमास(छैःमास) में ब्याज अनुदान प्राप्त नही होगा । किसी त्रैमास (छैःमास) में **"एक बार ऋण न चुकाने वाला" (Defaulter)** हो जाने पर उस त्रैमास (छैःमास) के ब्याज अनुदान की पात्रता समाप्त हो जायेगी भले ही आगामी त्रैमासों /छैःमासों में, पूर्व के त्रैमास /छैःमास के डिफाल्ट को दूर कर लिया जाए, इस संबंध में वित्त पोषक संस्था को प्रत्येक त्रैमास/छैःमास में प्रमाण पत्र देना होगा।

7– प्रकिया व अधिकार :–

7.1– औद्योगिक इकाईयों को "उपाबंध 1" के अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में जो वित्त पोषक बैंक / वित्तीय संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षरित हो, निम्नांकित दस्तावेजों के साथ सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद "उपाबंध –5" में निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय द्वारा दी जावेगी।

(1) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विनिर्माण संबंधी ज्ञापन प्राप्त होने बाबत प्राप्ति सूचना /औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र (जो लागू हो)

(2) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी वैध स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र।

(3) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने पर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र ।

(4) ऋण स्वीकृति पत्र (सिर्फ पहले त्रैमास /छैःमास के आवेदन के साथ), उसके पश्चात स्वीकृति पत्र में संशोधन/ परिर्वतन होने पर सबंधित त्रैमास में संशोधित ऋण स्वीकृति पत्र ।

(5) वित्तीय संस्थाओं / बैंकों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि सबंधित त्रैमास /छैःमास में ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा औद्योगिक इकाई किसी भी रूप में ''ऋण न चुकाने वाला'' (Defaulter) नहीं है या यदि ऋण के भुगतान हेतु स्थगन दिया हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थगन प्रमाण पत्र।

(6) विभाग एवं औद्योगिक इकाई के मध्य निष्पादित आपसी सहमति पत्र (एम0ओ0यू0) की प्रति (यदि लागू हो)

(औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने तथा स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त होने तथा ब्याज अनुदान सबंधी आवेदन ऋण वितरण के प्रथम दिनांक के पश्चात त्रैमासिक/ छैः माही आधार पर संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जावेगा।)

7.2– महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रस्तुत स्वत्वों का परीक्षण ''उपाबंध 2'' के अनुसार न्यूनतम प्रबंधक स्तर के अधिकारी से करवाकर स्वत्वों के नियमों के अधीन होने पर लघु उद्योगों के प्रकरणों में ''उपाबंध 3'' में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा ।

मध्यम–वृहद उद्योगों के प्रकरणों में अपने अभिमत के साथ आवेदन पत्र सत्यापित सहपत्रों सहित आवेदन प्रस्तुत होने के 15 दिवसों के भीतर उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा जिस पर उद्योग आयुक्त द्वारा स्वत्वों के नियमों के अधीन होने पर ''उपाबंध 3'' में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा ।

स्वत्व के नियमानुसार न होने पर यथास्थिति महाप्रबंधक / उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से सहमत न होने पर निर्धारित अवधि में अपर संचालक उद्योग / विभाग के सचिव को (जो लागू हो) निर्धारित अवधि में अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा।

स्वत्वों का निराकरण पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 45 दिवसों में किया जावेगा ।

7.3– बजट आबंटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सबंधित वित्तीय संस्था / बैंक को अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करने हेतु प्रेषित की जावेगी जो सबंधित वित्तीय संस्था / बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा की जावेगी । अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी।

7.4– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृति के दिनांक के कम में किया जावेगा ।

7.5– बजट आवंटन के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा ।

8– <u>ब्याज अनुदान की वसूली–</u>

8.1– ब्याज अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के ऋण खाते मे जमा हो जाने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई / बैक / वित्तीय संस्था द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय ब्याज के एक मुश्त वसूली योग्य हो जावेगी जिसकी वसूली संबंधित औद्योगिक इकाई /बैंक या दोनों से की जा सकेगी । यह राशि इकाई / बैंक या दोनों से भू–राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य वसूली की जा सकेगी । वसूली योग्य मूल राशि पर वसूली दिनांक तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, वसूली आदेश जारी होने के दिनांक को लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा ।

8.2— उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को यह अधिकार होगा कि ब्याज अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात नियमानुसार नहीं पाये जाने पर ब्याज अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं यदि ब्याज अनुदान की राशि संबंधित वित्तीय संस्था / बैंक को भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सकें।

8.3— औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में स्वत्व की अवधि के दौरान रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्र0 5.3 में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो ऐसी अवधि में अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी तथा अनुदान की राशि संबंधित स्वत्व को निरस्त कर वापस प्राप्त की जा सकेगी, भविष्य के क्लेमों में समायोजित की जा सकेगी, यदि दे दी गयी हो ।

9— **अपील /वाद —**

1— महाप्रबंधक द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्व अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को एवं उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्व विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव को आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर अपील की जा सकेगी ।

अपील प्राधिकारी को अपील करने में तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब को प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर शिथिल करने का अधिकार होगा । अपील प्राधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

2— नियमो की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं औद्योगिक इकाई तथा वित्तीय संस्था / बैंक के लिये बंधनकारी होगा।

3— इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

10— **स्वप्रेरणा से निर्णय :—**

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग /उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने, या उसमें परिवर्तन के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

11— योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग सक्षम होंगे ।

12— **योजना का कियान्वयन**

योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

इस स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के यू0ओ0 कमांक 855/बजट—5/वित्त/चार/2005, दिनांक 04.06.2005/ 29.07.2005 द्वारा सहमति प्रदान की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
रायपुर

"उपाबंध– 1

(नियम 7.1)

छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2004 के अन्तर्गत ब्याज अनुदान हेतु आवेदन पत्र

कुल पात्रता अवधि.................... से ....तक वर्तमान क्लेम, अवधि............... से ....तक

क0	1 औ0इकाई का नाम व पता 2 उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता 3 स्थायी लघु उद्योग पंजी0 / वा0 उत्पा0 प्रमाण पत्र क0 व दिनांक 4 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 5 ऋण वितरण का प्रथम दिनांक	नवीन औद्योगिक इकाई अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार	ऋण का विवरण				
			स्वीकृति			वितरित	
			ऋण का स्वरूप	स्वीकृत राशि	दिनांक	कुल वितरित राशि	दिनांक ....तक
			अ सावधि ऋण ब– कार्यशील पूंजी योग–				
1	2	3	4	5	6	7	8

पूर्व मान्य क्लेम तक भुगतान किये गये ब्याज अनुदान का विवरण		वित्त पोषित संस्था को देय राशि का विवरण			औ0 इकाई द्वारा भुगतान की गयी राशि जिस पर ब्याज अनुदान का क्लेम किया गया है				क्लेम किये गये ब्याज अनुदान का विवरण	
अवधि	प्राप्त किये गये ब्याज अनुदान की राशि	1–मूलधन (किश्त) सावधि ऋण कार्यशील पूंजी 2–ब्याज (किश्त व दर) सावधि ऋण पर कार्यशील पूंजी पर योग	राशि	दिनांक	1–मूलधन (किश्त) सावधि ऋण कार्यशील पूंजी योग 2–ब्याज (किश्त व दर) सावधि ऋण पर कार्यशील पूंजी पर योग	राशि	दिनांक	अनुदान की दर	भुगतान किये गये ब्याज की राशि का : अनुदान / ब्याज अनुदान की दर	ब्याज अनुदान क्लेम राशि
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

कुल रोजगार				
श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
20	21	22	23	24
अकुशल वर्ग अ .... ब .... स				
कुशल वर्ग अ .... ब .... स				
पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स				
प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स				

घोषणा पत्र

1– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही है व वित्तीय संस्था / बैंक को देय अवधि .... में मूलधन / ब्याज की किश्त का भुगतान नियमित रूप से किया गया है / भुगतान अनियमित है / भुगतान हेतु स्थगन दिया गया है

2– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वापसी के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय ब्याज के साथ 15दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
दिनांक

वित्तीय संस्था के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
वित्तीय संस्था का नाम व पता
दिनांक

"उपाबंध–2"
(नियम 7.2)
निरीक्षण टीप

1– औद्योगिक इकाई के ब्याज अनुदान क्लेम अवधि के संबंध में औद्योगिक इकाई का स्थल निरीक्षण किया गया । इकाई में उत्पादन चालू / बंद है

2– औद्योगिक इकाई में वर्तमान में नियोजित रोजगार की निम्न स्थिति है–

क0	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
		औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1	अकुशल वर्ग अ .... ब .... स					
2	कुशल वर्ग अ .... ब .... स					
3	पर्यवेक्षकीय वर्ग अ .... ब .... स					
4	प्रबंधकीय वर्ग अ .... ब .... स .... योग–					

3– अनुशंसा /अभिमत

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर
निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पद

प्रारूप

उपाबंध–3

(नियम 7.2)

ब्याज अनुदान हेतु स्वीकृति आदेश

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2004 के नियम क्रमांक "7.2" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार ब्याज अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है।

क्र0	औ0इकाई का नाम व पता	उत्पाद व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक	ऋण वितरण का प्रथम दिनांक	वित्तीय संस्था / बैंक जो औ0 इकाई का वित्त पोषक है	ब्याज अनुदान की पात्रता अवधि व अधिकतम राशि	स्वीकृति आदेश के पूर्व वितरित राशि – अवधि.......तक	वर्तमान स्वीकृत स्वत्व	
							अवधि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2– यह राशि वित्तीय वर्ष– के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी

मांग संख्या– 11

2851– ग्रामोधोग और लघु उद्योग

102– लघु उद्योग

0101– राज्य आयोजना(सामान्य)

3801–लघु उद्योगों को ब्याज अनुदान

13– आर्थिक सहायता

001– प्रत्यक्ष सहायता (आयोजना)

उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग / महाप्रबंधक
उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
छत्तीसगढ़

"उपाबंध–4"
(नियम 5.1 तथा 5.8)
(अपात्र उद्योगों की सूची)

(1) आईस फैक्ट्री, आईसक्रीम, आईस कैण्डी, आईस फ्रुट बनाना
(2) कन्फेक्शनरी, बिस्किट तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रीकृत प्रक्रिया से प्रमाणीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(3) मिठाई निर्माण, गजक एवं रेवड़ियां,
(4) नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धिकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(5) मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
(6) फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)
(7) हालर मिल
(8) बुक वाईडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना
(9) आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेन्ट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्डीक्राट को छोड़कर)
(10) क्लाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्डीक्राफ्ट प्रिंटिंग व ऑफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर)
(11) ईंट निर्माण, कवेलू निर्माण (फ्लाई एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रीकृत प्रक्रिया से ईंट निर्माण को छोड़कर)
(12) टायर रिट्रेडिंग (जॉब वर्क)
(13) स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण
(14) कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्क्रीनिंग, कोल फ्यूल
(15) खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(16) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण
(17) लेमिनेशन (जूट बेग्स लेमिनेशन को छोड़कर)
(18) इलेक्ट्रिकल जॉब वर्क
(19) सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(20) पान मसाला, सुपारी, तंबाकू गुटखा बनाना
(21) आतिशबाजी, पटाखा निर्माण
(22) रिपेकिंग ऑफ गुड्स
(23) चाय का ब्लेंडिग तथा पेकिंग (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(24) फोटो लेबोरिटीज
(25) साबुन एवं डिटर्जेंट (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडेक्ट्स को छोड़कर)
(26) सभी प्रकार के कूलर
(27) फोटो कापिंग, स्टैंसलिंग
(28) रबर स्टाम्प बनाना
(29) बारदाना मरम्मत
(30) पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. को छोड़कर)
(31) लेदर टेनरी
(32) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कम्पनियो के साथ संयुक्त उपक्रमो को छोड़कर)
(33) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएं

"उपाबंध–5"
(नियम 7.1)
(अभिस्वीकृति)
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला...............................
छत्तीसगढ़

मेसर्स .... पता.. द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम 2004.. के अन्तर्गत आवेदन दिनांक..................... (अक्षरी).. को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन कमांक .... है । भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / प्राधिकृत प्रतिनिधि
सील

प्रति,

मेसर्स..
....
....